



सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक - 09.07.2024

एसओजी/सर्विलांस एवं थाना रेंडर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा करीब 22 लाख रूपये की कीमत का एक बेलोरो गाड़ी में 50 किलो 639 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 02 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 09.07.2024 को थाना रेंडर पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी, नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर लगामपुरा बैरियर के पास से 02 अभियुक्तगण को एक बेलोरो गाड़ी में 50 किलो 639 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना रेंडर में अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग ये गांजा उड़ीसा से लेकर आते हैं और मध्यप्रदेश व आसपास के जनपदों में बेचते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. रहीस यादव पुत्र हीरा लाल यादव निवासी ग्राम परा थाना पलेरा जनपद टीकमगढ़ म0प्र0 उम्र करीब 40 वर्ष हाल निवासी किराये का मकान बीरेन्द कालौनी नौगांव थाना नौगांव जनपद छतरपुर।
2. विवेक यादव पुत्र पारथ सिंह यादव निवासी ग्राम बुजौन्द थाना मोठ जिला झांसी उम्र करीब 35 वर्ष हाल निवासी छनियापुरा थाना कोतवाली जनपद झांसी।

अभि0- विवेक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-196/23 धारा 08/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना महरौनी जनपद ललितपुर।

अभियुक्तगण उपरोक्त के अपराधिक इतिहास की जानकारी आस पास के थानों व सीमावर्ती जनपदों से की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1. कुल 50 किलो 639 ग्राम नाजायज गांजा (कीमत करीब 22 लाख रूपये)।
2. एक बेलोरो गाड़ी नं0 CG 04 M 8789।

गिरफ्तारी/सहयोग करने वाली टीम-

1. प्रभारी एसओजी/सर्विलांस सेल मय टीम।
2. थाना प्रभारी रेंडर मय टीम।